उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु उद्योग बन्धु ने आयोजित की त्रिपक्षीय बैठकें

लखनऊ, 20 फरवरी 2013

राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में बेहतर औद्योगिक माहौल बनाने के लिए उठाये गए विभिन्न कदमों के अनुक्रम में आज **'उद्योग बन्धु' के अधिशासी निदेशक व प्रमुख सचिव– अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, श्री राजीव कपूर की अध्यक्षता में उद्यमियों की लम्बित समस्याओं के केस–टू–केस आधार पर निराकरण हेतु त्रिपक्षीय बैठकों का सिलसिला आरम्भ हुआ।**

आज सम्पन्न त्रिपक्षीय बैठक में उद्यमी एवं प्रकरण से सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें प्रमुख रूप से इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी, विद्युत संयोजन, औद्योगिक प्लाटों के ऊपर से गुजरने वाली विद्युत पारेषण लाइनों के विस्थापन, अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना तथा औद्योगिक भूखण्डों के भौतिक कब्जे से सम्बन्धित प्रकरणों को हल करने के लिए विचार–विमर्श किया गया।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उ. प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम एक अद्यावधिक डायरेक्ट्री तैयार करे जिसमें खाली व ऐसे औद्योगिक भू–खण्ड जिनका कब्जा न लिया गया हो का विवरण हो। साथ ही आवंटित भू–खण्डों में यथोचित समय में औद्योगिक इकाई की स्थापना सुनिश्चित करने हेतु नियमों में सुसंगत परिवर्तन किया जाए।

यह सुझाव दिया गया कि औद्योगिक आस्थानों एवं क्षेत्रों के समुचित रख–रखाव के लिए औद्योगिक संगठनों के सहयोग से अनुरक्षण मॉडल तैयार करने की आवश्यकता है। औद्योगिक क्षेत्रों में अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना वहाँ संचालित औद्योगिक इकाइयों की प्रकृति के आधार पर अग्नि–क्षति मूल्यांकन के अनुसार की जानी चाहिए।

विभिन्न विभागों से सम्बन्धित उद्यमियों के कुल 14 मामलों पर विचार किया गया, जिसमें से अधिकतर प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण के लिए दिशा–निर्देश दिए गए।

इसी प्रकार की त्रिपक्षीय बैठकों का आयोजन आगामी दो दिनों में भी किया जाएगा। तीन दिन चलने वाली इस प्रक्रिया में उद्यमियों के कुल 38 पूर्व इंगित मामलों को हल किये जाने का प्रयास किया जाएगा।

ज्ञात हो कि उद्योग बन्धु प्रदेश में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार की नोडल संस्था है, जो उद्यमियों के लम्बित मामलों के निवारण के लिए त्रिपक्षीय बैठक आयोजित कराता है, जिसमें उद्यमी व सम्बन्धित विभाग के मध्य बैठक कराई जाती है और निर्णय लिये जाते हैं।